

थाना बछरायूं पुलिस द्वारा हत्या की अज्ञात घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त मय आलाकत्ल के गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.2020 को रामसिंह पुत्र चेताराम निवासी ग्राम बकावाद थाना बछरायूं द्वारा सूचना दी कि दिनांक 14.09.2020 को शाम करीब 06 बजे मेरे पुत्र बंटी को शाभित पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बमरौला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने 5000 रुपये देने के बहाने से चांदपुर बुलाया तथा अपने साथी संदीप सैनी, गौतम व पुरुषोत्तम के साथ मिलकर उसकी हत्या करके लाश को कस्बा धनौरा के जंगल में फेंक दिया। वादी की तहरीर पर थाना बछरायूं पर मु0अ0स0 297/2020 धारा 302/201 भादवि बनाम 1. शोभित 2. संदीप सैनी 3. गौतम व 4. पुरुषोत्तम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अमरोहा डॉ0 विपिन ताडा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक बछरायूं को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। आज दिनांक 26.09.2020 को थाना बछरायूं पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त शोभित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शोभित ने पूछताछ में बताया कि बन्टी की हत्या मैंने अपने चाचा राजेश उर्फ राजे के साथ मिलकर की थी। अभियुक्त शोभित की निशादेही पर हत्या में प्रयोग की गयी लोवर की नारा व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

घटना का विवरण:-

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त शोभित द्वारा बताया कि अभियुक्त भजन कीर्तन का काम करता है। मृतक बन्टी का भाई मोन्टी अभियुक्त शोभित के साथ शादी ब्याह में नाचने गाने का काम करता है। जिससे कीर्तन पार्टी दौनों की अच्छी कमाई होने लगी। मृतक बन्टी के भाई मोन्टी को शादी ब्याह में नाचने गाने का काम पसन्द नहीं था। इसी कारण अभियुक्त शोभित ने अपने चाचा राजेश उर्फ राजे के साथ मिलकर बन्टी को मारने की योजना बनायी। योजना के अनुसार दिनांक 14.09.2020 को बंटी को 5000 रुपये देने के बहाने से अम्बेडकर नगर तिराहा कस्बा चांदपुर पर बुलाया वहाँ से अभियुक्तगणों ने मृतक बन्टी को शराब पिलायी तथा उसके बाद बन्टी को मोटर साईकिल पर बैठाकर चुचैला नहर पटरी के करीब जंगल में ले जाकर लोअर के नारे से बन्टी का गला घोटकर हत्या कर दी। तथा उसका मोबाइल फोन साथ लेकर चले गये थे।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. शोभित पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम बमरौला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी:-

1. घटना में प्रयुक्त नाडा ।
2. मृतक का मोबाईल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष पांडे थाना बछरायूं गजरौला जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री निशान्त राठी थाना बछरायूं जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री शादाब थाना बछरायूं जनपद अमरोहा ।
4. का 964 गोरव कुमार थाना बछरायूं जनपद अमरोहा ।
5. का0 92 सुखवन्त थाना बछरायूं जनपद अमरोहा ।
6. का0 अरुण कुमार थाना बछरायूं जनपद अमरोहा ।